ACP

Annexure-A

झारखंड सरकार
वित्त विभाग।

रांची, दिनांक सं. अगस्त, 2002.

संकल्प

विषय:-- राज्य कर्मियों के लिये सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना।

राज्य के सेवकों को केन्द्रीय सेवा शर्तों के साथ केन्द्रीय वेतनमान एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने में बनी वेतन विसंगति के आलोक में गठित फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के अनुरूप राज्य कर्मियों को केन्द्रीय वेतनमान सहित अन्य भत्तों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। फिटमेन्ट कमिटी ने सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ए०सी०पी०) का लाभ राज्य कर्मियों को भी प्रदान करने की अनुशंसा की है।

2. राज्य सरकार ने फिटमेन्ट कमिटी की अनुशंसा एवं केन्द्र में लागू सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना पर सम्यक रूप से विचार करते हुये अपने सेवकों के लिये इस योजना को निम्नरूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है:-

(1) राज्य कर्मी, जिन्हें समयबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला है, को 12/24 वर्षों की नियमित संतोषप्रद सेवा पूरी होने पर क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ए०सी०पी०) के तहत प्रदान किया जाय।

(2) यह वित्तीय उन्नयन, प्रोन्नति के सर्वथा योग्य कर्मी को, जिस संवर्ग विशेष में वित्तीय उन्नयन विचाराधीन हो, उसमें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होकर क्रमशः 12/24 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरान्त ही अनुमान्य होगा।

(3) यह वित्तीय उन्नयन समकक्ष सेवक को उसके संवर्ग के लिये निर्धारित प्रोन्नति के वर्तमान पद सोपान के वेतनमान में मिलेगा और इसके लिये वित्त विभाग के संकल्प संख्या-660/वि(2), दिनांक 0-2-1999 एवं इस क्रम में निर्गत अन्य आदेशों द्वारा स्वीकृत वेतनमान ही प्रासंगिक होंगे। जहाँ प्रोन्नति के पद सोपान निर्धारित नहीं है या पद सोपान में दो से कम प्रोन्नति के पद उपलब्ध हैं, वहाँ अनुसूची-1 के अनुसार उच्चतर वेतनमानों में वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जायेगा।

3. सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत वित्तीय उन्नयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जा सकेगा:-

(1) ए०सी०पी० योजना सरकारी सेवकों को व्यक्तिगत आधार पर वित्तीय उन्नयन द्वारा मात्र उच्चतर वेतनमान/वित्तीय लाभ प्रदान करने पर विचार करता है। अतः यह न तो कार्यात्मक( )/नियमित प्रोन्नति के बराबर होगा, न ही इस हेतु नये पद सृजन की आवश्यकता होगी।

......2.

(ii) इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय उच्चीकरण रु0 14,300-18,300/- तक के उच्चतम वेतनमान तक सीमित रहेगा। इससे उच्चतर वेतनमान में वित्तीय उन्नयन अनुमन्य नहीं होगा तथा इससे उच्चतर पदों को पूर्णतः पूर्ति रिक्तियों पर आधारित पदोन्नति से भरे जायेंगे।

(iii) ए0सी0पी0 योजना का लाभ निर्धारित सेवावधि पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 09-08-1999, जो बाद की तिथि हो, से प्रदान किया जायेगा। किन्तु बकाया की गणना उत्तरांचल राज्य के गठन अर्थात् दिनांक 15-11-2000 तक ही सीमित रहेगी। दूसरे शब्दों में, दिनांक 15-11-2000 के पूर्व का कोई भी बकाया अनुमन्य नहीं होगा।

(iv) ए0सी0पी0 योजनान्तर्गत 12 वर्षों की नियमित सेवा के पश्चात् प्रथम वित्तीय उच्चीकरण तथा प्रथम वित्तीय उच्चीकरण के पश्चात् 12 वर्षों की लगातार नियमित सेवा के उपरान्त द्वितीय वित्तीय उच्चीकरण अन्य निर्धारित शर्तों के पूरा करने के अधीन प्रदान की जायेगी। दूसरे शब्दों में अगर प्रथम उच्चीकरण सरकारी सेवक की अयोग्यता, अथवा विभागीय कार्यवाही के कारण विलम्बित रहता है तो इसका परिणामी प्रभाव द्वितीय उच्चीकरण पर भी होगा, जो तद्नुसार विलम्बित होगा। इस अवधि में अगर कोई कर्मचारी प्रशिक्षण, वाह्य सेवा अथवा छुट्टी में रहते हैं, तो प्रशिक्षण, वाह्य सेवा, छुट्टी आदि के सम्बन्ध में जब तक अन्तिम निर्णय ले कर यह सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि पूर्वगामी अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर मानी जायेगी, तब तक विवादित अवधि की गणना ए0सी0पी0 के निमित्त नहीं की जायेगी।

उपर्युक्त शर्तों के अधीन यदि कोई सरकारी सेवक 24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर चुका है एवं उसे दो, या एक भी नियमित पदोन्नति नहीं मिली हो तब उसे सीधे द्वितीय वित्तीय उच्चीकरण स्वीकृत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रथम वित्तीय उच्चीकरण के लिये आवश्यक निर्धारित सेवा से अधिक की गयी नियमित सेवा का लाभ द्वितीय वित्तीय उच्चीकरण हेतु जोड़ा जायेगा। दूसरे शब्दों में, यदि कोई सरकारी सेवक 12 वर्षों से अधिक किन्तु 24 वर्षों से कम की नियमित सेवा की है, तो प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ तुरन्त दिया जायेगा एवं 12 वर्षों की सेवा से अधिक की गयी नियमित सेवा को द्वितीय वित्तीय उन्नयन हेतु अतिरिक्त 12 वर्षों की नियमित अर्हक सेवा में जोड़ा जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक को 24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि को द्वितीय वित्तीय उन्नयन प्रदान करने पर इस योजनान्तर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि से 12 वर्षों की नियमित सेवा का इन्तजार किये बिना किया जायेगा।

.....3.

(V) पूरे सरकारी सेवा अवधि में ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत दो वित्तीय उत्क्रमण की गणना श्रेणी विशेष, जिसमें सम्बन्धित सरकारी सेवक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त हुआ हो, में उपलब्धित नियमित प्रोन्नति के विरुद्ध की जायेगी। तात्पर्य यह कि ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत दो वित्तीय उत्क्रमण तभी उपलब्ध होगा जब निर्धारित अवधि (12 वर्ष एवं 24 वर्ष) में सरकारी सेवक द्वारा कोई नियमित प्रोन्नति का उपभोग नहीं किया गया होगा। अगर कोई कर्मी पहले ही नियमित प्रोन्नति पाकर ए०सी०पी० योजनान्तर्गत अनुमान्य द्वितीय वित्तीय उन्नयन का वेतनमान प्राप्त कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में उन्हें अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर कोई कर्मी पहले ही एक नियमित प्रोन्नति पा चुका है, तो वह ए०सी०पी० योजनान्तर्गत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण हेतु केवल 24 वर्षों की लगातार सेवा पूरी करने के पश्चात् ही पात्र होगा। अगर कोई कर्मी नियमित आधार पर पूर्व में ही दो प्रोन्नति प्राप्त कर चुका है तो उन्हें ए०सी०पी० योजनान्तर्गत कोई लाभ देय नहीं होगा।

(VI) ए०सी०पी० योजनान्तर्गत लाभ प्रदान करने हेतु परिलक्षित अवधि (नियमित सेवा) की गणना श्रेणी विशेष, जिसमें सम्बन्धित कर्मी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त हुआ हो और वित्तीय उत्क्रमण विचाराधीन हो, से की जायेगी।

(VII) ए०सी०पी० योजना के तहत वित्तीय उत्क्रमण हेतु सामान्य प्रोन्नति मानदंड यथा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता, उच्चतर योग्यता की प्राप्ति आदि, जो भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली में निहित है, को पूरा करना आवश्यक होगा।

(VIII) वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त करने के बाद भी पदधारक मूल पद के कर्तव्यों का ही सम्पादन/निर्वहन करेंगे तथा पदनाम भी सम्बन्धित पद की स्थिति एवं उसके विरुद्ध नियमित प्रोन्नति होने तक पूर्ववत् रहेगा। एकाकी पद होने की स्थिति में पदधारक अनुसूची-1 में वर्णित अगले वेतनमान में वित्तीय उत्क्रमण का लाभ प्राप्त करेंगे किन्तु पद रिक्त होते ही यह मूल कोटि का हो जायेगा।

(IX) इस योजना के तहत वित्तीय उत्क्रमण के फलस्वरूप उच्चतर वेतनमान के आधार पर सम्बन्धित सरकारी सेवक को सरकारी आवास का आवंटन, गृह निर्माण अग्रिम सहित अन्य अग्रिम का लाभ देय होगा, किन्तु राजकीय उत्सवों, अलंकरण समारोह उच्चतर पदों पर प्रतिनियोजनों आदि के लिये वे अपने मौलिक/निम्नतर वेतनमान के अनुरूप ही सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

(X) इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन सरकारी सेवक को उसके स्वयं के लिये विशिष्ट रूप से निर्धारित वर्तमान पद श्रेणी के वेतनमानों में मिलेगा और

इसके लिये कोई नया पद सृजित नहीं किया जायेगा । परन्तु एकल पद एवं ऐसे पद/पद समूह/सम्वर्ग जिनमें विशिष्ट रूप से पद सोपान नहीं बने हुये हैं और सीधे राज्य सेवा/सम्वर्ग में कुछ निश्चित पद ही प्रोन्नति हेतु अवधारित हैं, उनके सम्बन्ध में सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग द्वारा अनुसूची-1 में निर्दिष्ट वेतनमान के तुरन्त बाद वाले वेतनमान में ही वित्तीय उन्नयन किया जायेगा ।

(xi) ए०सी०पी० योजनान्तर्गत वित्तीय उन्नयन विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत होगा एवं इसका वरीयता से कोई सम्बन्ध नहीं होगा । तदनुसार, सम्वर्ग में कनिष्ठ कर्मी को ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरीय कर्मी को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन/वेतन का संरक्षण देय नहीं होगा ।

(xii) ए०सी०पी० योजनान्तर्गत उन्नयित होने पर सम्बन्धित कर्मी का वेतन भारत सरकार के मौलिक नियमावली के नियम-22(I)(a)(1) के प्रावधानों एवं इस सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन निर्धारित किया जायेगा । ए०सी०पी० योजना में सहयुक्त प्रदत्त वित्तीय लाभ अन्तिम होगा अर्थात् उच्चतर श्रेणी के क्रियाशील पद के विरुद्ध पदस्थापन के समय पुनः कोई वेतन निर्धारण लाभ देय नहीं होगा ।

(xiii) ए०सी०पी० योजनान्तर्गत उच्चतर वेतनमान की स्वीकृति इस शर्त के अधीन दी गयी मानी जायेगी कि भविष्य में नियमित प्रोन्नति के पद उपलब्ध होने की स्थिति में सम्बन्धित सरकारी सेवक को उसे स्वीकार करना होगा । नियमित प्रोन्नति के पद को अस्वीकार करने की स्थिति में वे सामान्य अनुदेशों के यथाप्रस्तावित/नियमित प्रोन्नति हेतु वंचित समझे जायेंगे । किन्तु जैसे ही एवं जब भी वे इसके पश्चात् नियमित प्रोन्नति स्वीकार करते हैं तो वे ए०सी०पी० योजनान्तर्गत द्वितीय उन्नयन हेतु उच्चतर श्रेणी में अपेक्षित अर्हक सेवा/अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ही योग्य होंगे । यह इस शर्त के अधीन होगा कि जिस अवधि हेतु वे नियमित प्रोन्नति से वंचित किये गये हैं, उस अवधि की गणना वित्तीय उन्नयन हेतु नहीं की जायेगी ।

(xiv) अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही के मामले में ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत लाभों की स्वीकृति सामान्य प्रोन्नति के नियमों के अधीन प्रदान की जायेगी ।

(xv) प्रस्तावित ए०सी०पी० योजना केवल वित्तीय लाभ हेतु उच्चतर वेतन स्थापित करने का विचार करता है और मान/श्रेणी में मात्र व्यक्तिगत आधार पर

.....5.

यह सम्बन्धित कार्मिक के वास्तविक/क्रियात्मक प्रोन्नति के समय नहीं होगा। चूँकि प्रोन्नति में आरक्षण से सम्बन्धित आदेश केवल नियमित प्रोन्नति पर ही लागू है, आरक्षण आदेश/रोस्टर ए०सी०पी० पर लागू नहीं होगा एवं इसका लाभ सभी योग्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कर्मियों को भी समान रूप से देय होगा, किन्तु नियमित/क्रियात्मक प्रोन्नति के समय सम्बन्धित नियुक्ति पदाधिकारी सभी आरक्षण नियमों का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(xvi) ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत केवल नियमित सेवा की गणना की जायेगी। कार्यभारित, आकस्मिक, तदर्थ, संविदा, मौसमी, मास्टर रोल आदि के आधार पर नियुक्त कर्मियों को इस योजना का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

(xvii) इस योजना का लाभ राजकीयकृत विद्यालय/अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों/यू०जी०सी०/आई०सी०ए०आर०/एन०सी०ई०आर०टी० आदि वेतनमान प्राप्त करने वाले शिक्षकों/पदाधिकारियों को देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मी जिनके लिये अलग से किसी विशेष प्रोन्नति योजना का प्रावधान पूर्व से किया हुआ है, उन्हें भी इस योजना का लाभ देय नहीं होगा।

(xviii) राज्य सरकार से सहायता प्राप्त सभी स्वायत्तशासी संस्थाएं (विश्व-विद्यालय/महा विद्यालय सहित)/राज्य सरकार द्वारा सृजित/अधिसूचित भारतीय कम्पनी अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के तहत गठित निगम/निकाय/पर्षद या सदृश संस्थानों में कार्यरत कर्मी इस योजना की परिधि में नहीं आयेंगे। ऐसी संस्थानों के द्वारा नियुक्त कर्मी का वेतनादि, सुविधायें सम्बन्धित संस्था के द्वारा उनके आय व्यय (बजट) के तहत उपलब्ध कराया जाता है, सरकार इस सम्बन्ध में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, किन्तु ऐसी सुविधाओं की भरपाई के लिये सरकार द्वारा कोई विशेष सहायता/अनुदान नहीं दिया जायेगा और न सरकार किसी रूप में इसके लिये उत्तरदायी होगी। सरकार ऐसी संस्था को ऋण/अनुदान निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिये निर्धारित मार्ग दर्शन के अनुसार देती है। सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले बोर्ड/निगम/निकाय आदि अपने कर्मियों सुविधा देते समय इस बात को पूर्णरूपेण ध्यान में रखेंगे कि दी जाने वाली सुविधा, वेतन, किसी भी स्थिति में समान अवस्था वाले राजकर्मियों से अधिक नहीं हो अन्यथा सहायता की राशि में कटौती कर दी जायेगी।

5. सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना लागू किये जाने के पश्चात् सामयिक रिक्त पदों पर प्रोन्नति की प्रक्रिया दुष्प्रभावित नहीं होगी। संगत नियम/निदेश के आलोक में विभागीय प्रोन्नति समिति सम्वर्ग में रिक्त नियमित पदों पर, प्रोन्नति देने की कार्रवाई आवश्यक छान-बीन के बाद पूरी करेगी।

.....6.

5. ए०सी०पी० योजना के तहत लाभ स्वीकृति के मामले पर विचार करने के लिये विभागीय स्तर पर एक स्क्रीनिंग समिति गठित की जायेगी । स्क्रीनिंग समिति की संरचना वही होगी, जो नियमित प्रोन्नति पर विचार करने के लिये संगत भर्ती/सेवा नियमावली में विभागीय प्रोन्नति समिति की है, परन्तु यदि विभागीय प्रोन्नति समिति झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य की अध्यक्षता में गठित है, तो ए०सी०पी० योजना के तहत स्क्रीनिंग समिति मुख्य सचिव/सदस्य राजस्व पर्षद/विकास आयुक्त/समकक्ष पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित होगी ।

6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग विभिन्न विभागों के ऐसे वरीय पदों के पदधारकों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिये स्क्रीनिंग समिति की संरचना के सम्बन्ध में स्थायी आदेश निर्गत करेगा । एकाकी पदों के लिये स्क्रीनिंग समिति का गठन उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा ।

7. ए०सी०पी० योजना को प्रभावकारी ढंग से लागू करने हेतु स्क्रीनिंग समिति समयबद्ध कार्यक्रम तय करेगा । समिति की बैठक एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार- जनवरी एवं जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जायेगी ताकि वित्तीय उन्नयन की अग्रिम योजना तैयार की जा सके और देय तिथि के पूर्व कर्मचारी विशेष के वित्तीय उन्नयन के मामले पर कमिटी का निर्णय प्राप्त हो जाय ।

8. योजना को कारगर बनाने के लिये सम्वर्ग नियंत्री पदाधिकारी प्रथम स्क्रीनिंग समिति का गठन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के लिये आदेश निर्गत होने के एक माह के अन्दर गठित करेंगे, ताकि परिपक्व मामले पर तुरन्त निर्णय लिया जा सके ।

9. ए०सी०पी० योजना केन्द्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है, अतः इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत स्पष्टीकरण मुटाटिस मुटेंडिस(Mutatis Mutandis) राज्य कर्मियों के मामले में भी लागू होंगे।

10. यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम बार लागू किया गया है और इसका अनुसरण करते हुए इसे राज्य कर्मियों के प्रसंग में अपनाया जा रहा है । अतः ऐसी प्रोन्नति औपबन्धिक रूप से देने के लिये प्रशासी विभाग को अधिकृत किया जाता है । प्रशासी विभाग एक वर्ष के अन्दर दी गयी औपबन्धिक प्रोन्नति की सम्पुष्टि वित्त विभाग से करा लेंगे । वित्त विभाग, प्रशासी विभाग के द्वारा दी गयी औपबन्धिक प्रोन्नति को संशोधित अथवा निरस्त करने में सक्षम होगा ।

....7.

Scanned with CamScanner

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेशानुसार,

॥ देवाशीष गुप्ता ॥
सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड,
राँची ।

ज्ञाप संख्या—3/एस-6—॥प्रोन्नति॥—02/2002— 5207 /वि, राँची, दिनांक—14—8—2002
प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार एवं झारखण्ड, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/डोरण्डा, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

॥ एस०एस० दुबे ॥
सरकार के उप सचिव, वित्त विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

ज्ञाप संख्या—3/एस-6—॥प्रोन्नति॥—02/2002—5207/वि०, राँची, दिनांक 14—8—200
प्रतिलिपि— सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

॥ एस०एस० दुबे ॥
सरकार के उप सचिव, वित्त विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

ज्ञाप संख्या—3/एस-6—॥प्रो०॥02/2002— 5207/वि०, राँची, दिनांक 14—8—2002
प्रतिलिपि—सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

॥ एस०एस० दुबे ॥
सरकार के उप सचिव, वित्त विभाग,
झारखंड, राँची ।

ज्ञाप संख्या—3/एस-6—॥प्रो०॥—02/2002— 5207/वि०, राँची, दिनांक 14—8—2002.
प्रतिलिपि— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को संकल्प को झारखण्ड के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
कृपया संकल्प की दो सौ ॥200॥ प्रतियाँ वित्त विभाग, प्रशाखा—3, झारखंड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाये ।

॥ एस०एस० दुबे ॥
सरकार के उप सचिव, वित्त विभाग
झारखंड, राँची ।

Scanned with CamScanner

अनुसूची-1

सुनिश्चित कैरियर उन्नयन योजना के लिये वेतनमानों की सूची

पुनरीक्षित वेतनमान
2550-55-2660-60-3200/-
2610-60-3150-65-3540/-
2650-65-3300-70-4000/-
2750-70-3800-75-4400/-
3050-75-3950-80-4590/-
3200-85-4900/-
4000-100-6000/-
4500-125-7000/-
5000-150-8000/-
5500-175-9000/-
6500-200-10500/-
7500-250-12000/-
8000-275-13500/-
10000-325-15200/-
12000-375-16500/-
14300-400-18300/-

Scanned with CamScanner

Annexure - B

6/एस0-06 (प्रो0)-01/2006/3594/वि0

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

राँची, दिनांक - 18.12.2007

विषय : सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के सम्बन्ध में ।

फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा एवं केन्द्र सरकार में लागू सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के आलोक में राज्य सरकार ने अपने कर्मियों को इस योजना का लाभ वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5207/वि0, दिनांक-14.08.2002 के द्वारा प्रदान किया है । इस संकल्प द्वारा लागू सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के कतिपय संशोधन वित्त विभाग के संकल्प संख्या-288/वि0, दिनांक-05.02.2007 के द्वारा किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत सरकारी सेवक को क्रमशः 12/24 वर्ष की लगातार सेवा के उपरान्त प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन उसके सम्वर्ग के लिए निर्धारित प्रोन्नति के वर्त्तमान पद-सोपान के वेतनमान में अनुमान्य है । विशिष्ट रूप से पद-सोपान निर्धारित नहीं रहने की स्थिति में वित्त विभाग के उक्त संकल्प की अनुसूची-I के अनुसार अगले उच्चतर वेतनमान में प्रथम / द्वितीय वित्तीय उन्नयन अनुमान्य किया गया है ।

2. राज्य में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आधार पर ही लागू की गई है । अतः प्रोन्नति के पद सोपान का निर्धारण फिटमेंट कमिटी की प्रोन्नति विषयक अनुशंसा को दृष्टिपथ में रखते हुए किए जाने की आवश्यकता है एवं तद्नुसार भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त नियमवली का गठन / संशोधन किया जाना आवश्यक है ताकि प्रोन्नति का पद सोपान विशिष्ट रूप से निर्धारित किया जा सके ।

3. राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रयोजनार्थ निर्णय लिया गया है कि :-

(i) सरकारी सेवक के भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त नियमावली में निर्धारित पद-सोपान ही विशिष्ट रूप से निर्धारित पद-सोपान माने जाएँगे ।

(ii) फिटमेंट कमिटी की प्रोन्नति विषयक अनुशंसा के आलोक में सरकारी सेवक के पद-सोपान का निर्धारण करते हुए प्रत्येक सेवा / संवर्ग के लिए भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त नियमावली का गठन / संशोधन करने की कार्रवाई सभी प्रशासी विभाग विहित प्रक्रिया को अपनाते हुए करना सुनिश्ति करेंगे ।

(iii) ऐसे पद / पद समूह जिसके लिए भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त नियमावली गठित नहीं है अथवा गठित नियमावली में प्रोन्नति के पद-सोपान का निर्धारण नहीं किया गया है, परन्तु

Scanned with CamScanner

राज्य सेवा / संवर्ग के कुछ प्रतिशत पद ही इनके प्रोन्नति / भर्त्ती हेतु कर्णांकित है, वैसे मामलों में राज्य सेवा / संवर्ग के पद को ए0 सी0 पी0 के प्रयोजन हेतु विशिष्ट रूप से निर्धारित पद-सोपान नहीं माना जाएगा । परन्तु राज्य सरकार ने जिस पद / संवर्ग विशेष के मामले में ए0 सी0 पी0 के तहत् देय वेतनमान के सम्बन्ध में विशिष्ट निर्णय लिया है, वह यथावत् लागू रहेगा ।

(iv) वित्त विभाग के ज्ञापांक-72/वि0, दिनांक-09.01.2007 के द्वारा प्रेषित मंत्रिपरिषद् हेतु संलेख की कण्डिका-4 में अंकित वनरक्षी एवं वनपाल के ए0 सी0 पी0 के तहत् अनुमान्य वेतनमान के उदाहरण को त्रुटिपूर्ण पाया गया है । फिटमेंट कमिटी ने अपनी प्रोन्नति विषयक अनुशंसा खण्ड-iv कण्डिका-31.4.5 में प्रतिवेदित किया है कि - " There should be an intermediate level of Head Forest Guard between the Forest Guard and the Foresters in the scale of Rs. 3200-4900 subject to the limitation of 12.5% of the total number of existing posts of Forest Guard. "

इसी तरह फिटमेंट कमिटी ने अपनी प्रोन्नति विषयक अनुशंसा की कण्डिका-23.9.4 में कृषि विभाग के जनसेवक आदि के संबंध में अधोलिखित अनुशंसा किया है :-

The present scale of village level worker and Block Agriculture Officers are differentiated by two scales in between and once the new recruits are inducted in scale of Rs. 3200-4900 there will be a difference of three scales. Hence, as in the case of the Karamcharis and Panchayat Sewaks, the Department would have to probably consider creating Intermediate promotion opportunities. What the extent of promotion would be, what the area of operation would be of these promoted personnel, whether any higher scale is needed and justified and the designation of this promotional post would require consideration in future.

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद् हेतु संलेख में दिया गया उदाहरण फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा, ए0 सी0 पी0 के सम्बन्ध में वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5207/वि0, दिनांक-14.08.2002 एवं संकल्प संख्या-288/वि0, दिनांक-05.02.2007 की मूल भावना के अनुरूप नहीं है । अतः वित्त विभाग के ज्ञापांक-72/वि0, दिनांक-09.01.2007 के द्वारा प्रेषित मंत्रिपरिषद् हेतु संलेख में दिए गए उदाहरण को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

Scanned with CamScanner

(v) सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना से संबंधित पूर्व के सभी संकल्प / परिपत्र उपर्युक्त हद तक संशोधित समझे जाएँगे ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(शिव शंकर तिवारी)
सरकार के उप सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक - 6/एस0-06 (प्रो0)-01/2006/3594/वि0 राँची, दिनांक - 18.12.2007

प्रतिलिपि - महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

(शिव शंकर तिवारी)
सरकार के उप सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक - 6/एस0-06 (प्रो0)-01/2006/3594/वि0 राँची, दिनांक - 18.12.2007

प्रतिलिपि - सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

(शिव शंकर तिवारी)
सरकार के उप सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक - 6/एस0-06 (प्रो0)-01/2006/3594/वि0 राँची, दिनांक - 18.12.2007

प्रतिलिपि - सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सभी आरक्षी अधीक्षक / सभी कोषागार / सभी उपकोषागार पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

(शिव शंकर तिवारी)
सरकार के उप सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक - 6/एस0-06 (प्रो0)-01/2006/3594/वि0 राँची, दिनांक - 18.12.2007

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि झारखण्ड राजपत्र के उक्त अंक की 200 प्रतियाँ वित्त विभाग, प्रशाखा-6 को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

(शिव शंकर तिवारी)
सरकार के उप सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

Scanned with CamScanner